फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

मानविन्द्र वगैरह बनाम सुखदेवसिंह व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–159/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकीलप्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी दिनांक 24.01.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया किअप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विरास्तन प्राप्त रकबा वाके चक 23 एलजीडब्लयू–ए के खाता संख्या 21/16 के प0नं0 35/301(32) के कि0नं0 7/2, 8 ता 10 में 0.848 है0 अ0क0 बारानी भूमि में से 0.283 है0 अ0क0बारानी भूमि व चक 23 एलजीडब्लयू–ए के खाता संख्या 49/40 के प0नं0 35/301(32) कि0नं0 11 ता 14, 16 ता 25 में 3.542 है0 अ0क0बारानी भूमि में से 0.295 है0 व खाता संख्या 18/16 प्रार्थी के प0नं0 40/299(37) कि0न0 6–7/0.506 है0 अ0क0 बारानी मय गै0मु0रास्ता व प0नं0 39/299(38) के कि0नं0 10/0.253 है0 अ0क0 बारानी कुल 0.759 है0 भूमि में से 0.506 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 है0 व चक 11 एसजीआर के खाता संख्या 9/30 के प0नं0 33/302(1) के कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 में 2.530 है0 बारानी व प0नं0 32/303(11) के कि0न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.783 है0 बारानी भूमि इस प्रकार कुल 5.313 है0 बारानी भूमि में से 1.771 है0 बारानी भूमि व चक 15 एसजीआर के खाता संख्या 57/26 प0नं0 44/298(8) कि0नं0 11 ता 15, 19 व 20में 1.771 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता मय खाला व प0नं0 45/298(9) कि0न0 1 ता 15, 16/1, 17 ता 25 में 5.883 है0 नहरी व प0नं0 45/299(10) कि0नं0 1 ता 3, 4/1, 16/3 में 1.012 है0 नहरी इस प्रकार कुल 8.666 है0 नहरी में से 0.084 है0 व चक 12 एसजीआर के खाता संख्या 6/20 के प0नं0 38/306(21) कि0न0 3 ता 7 में 0.696 है0 नहरी भूमि में से 0.232 है0 नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त रकबा अपने पिता जसवंतसिंह से प्राप्त हुआ है। जसवंतसिंह प्रार्थीगण के दादा/ससुर थे। उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विरास्तन दर्ज हुआ है। उक्त भूमि का कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण के पास घरू बंटवारा में बहिस्सा बराबर है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त जैरप्रकरण रकबा प्रार्थीगण का घरू बंटवारा अनुसार काश्त करने के लिए दे रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा में आने वाला रकबा का कब्जा प्राप्त कर बेचान कर रखा है। अब उनका कोई हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी से अपना रकबा को घोषणा करवाने के हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम से दर्ज रकबा बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने यदि अपने नाम से दर्ज रकबा बेचना कर दिया तो हम प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे की वे जैरप्रकरण रकबा रहन,बैय, हस्तातंरण नही करें तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या 1 सुखदेवसिंह को विरास्तन प्राप्त रकबा है। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रकबा किसी अन्य को हस्तातंरण, रहन बैय कर दिया तो कानूनी पेचेदगीयां बढ़ेगी। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला साबित है व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में तथा ना पूरा होने वाला नुकसान भी साबित हो रहा है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 13.09.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वाके चक 23 एलजीडब्लयू–ए के खाता संख्या 21/16 के प0नं0 35/301(32) के कि0नं0 7/2, 8 ता 10 में 0.848 है0 अ0क0 बारानी भूमि में से 0.283 है0 अ0क0बारानी भूमि व चक 23 एलजीडब्लयू–ए के खाता संख्या 49/40 के प0नं0 35/301(32) कि0नं0 11 ता 14, 16 ता 25 में 3.542 है0 अ0क0बारानी भूमि में से 0.295 है0 व खाता संख्या 18/16 प्रार्थी के प0नं0 40/299(37) कि0न0 6–7/0.506 है0 अ0क0 बारानी मय गै0मु0रास्ता व प0नं0 39/299(38) के कि0नं0 10/0.253 है0 अ0क0 बारानी कुल 0.759 है0 भूमि में से 0.506 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 है0 व चक 11 एसजीआर के खाता संख्या 9/30 के प0नं0 33/302(1) के कि0नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 में 2.530 है0 बारानी व प0नं0 32/303(11) के कि0न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.783 है0 बारानी भूमि इस प्रकार कुल 5.313 है0 बारानी भूमि में से 1.771 है0 बारानी भूमि व चक 15 एसजीआर के खाता संख्या 57/26 प0नं0 44/298(8) कि0नं0 11 ता 15, 19 व 20में 1.771 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता मय खाला व प0नं0 45/298(9) कि0न0 1 ता 15, 16/1, 17 ता 25 में 5.883 है0 नहरी व प0नं0 45/299(10) कि0नं0 1 ता 3, 4/1, 16/3 में 1.012 है0 नहरी इस प्रकार कुल 8.666 है0 नहरी में से 0.084 है0 व चक 12 एसजीआर के खाता संख्या 6/20 के प0नं0 38/306(21) कि0न0 3 ता 7 में 0.696 है0 नहरी भूमि में से 0.232 है0 नहरी भूमि को रहन बैय व हस्तातंरण न करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:33:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: